तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/915/2004/बाड़मेर** **सरकार बनाम पेमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

———

उपस्थित :–

श्रीमती नीतू सिंह शेखावत, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः– 19.05.2026

हस्तगत् निगरानी अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 06/2002 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष खातेदार शंकरराम व मोहनराम ने एक प्रार्थना पत्र मय समर्पण पत्र आराजी खसरा संख्या 250/1 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा वाकै मौजा बिशाला आगौर में से 3 बीघा भूमि समर्पण करने हेतु पेश किया। जिसको तहसीलदार, बाड़मेर ने अपने आदेश दिनांक 17.11.99 द्वारा स्वीकार कर भूमि बिना शर्त समर्पित राज्य सरकार के हक में कब्जा लिए जाने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 ने प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर के समक्ष पेश की गई, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.02.2001 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर रेस्पो0 ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष पेश की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2003 द्वारा स्वीकार किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। खातेदार शंकरराम एवं मोहनराम वादग्रस्त आराजी के खातेदार थे। जिन्होंने ने अपनी भूमि में से 3 बीघा का समर्पण किया। जिसे करने का उन्हें अधिकार था, जिसे तहसीलदार बाड़मेर ने बहक सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराए जाने का सही निर्णय दिया था, जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय का यह कथन कि खसरा संख्या 250/1 का नक्शा ट्रेस नहीं बना। इसलिए बिना नक्श ट्रेस के तरमीम नहीं हो सकती। जबकि खातेदार की जमाबंदी के साथ नक्शा ट्रेस भी ही। इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया था कि पक्षकारों के बीच दावें के निर्णय बाद ही तरमीम किया जावेगा तथा इस आधार पर समर्पण का आदेश निरस्त नहीं होगा। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि तगाराम के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/915/2004/बाड़मेर** **सरकार बनाम पेमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वारिसानों को अपील प्रस्तुत करने का लोकस नहीं था क्योंकि उनके पिता तगाराम अपना हिस्सा शंकर व मोहन पिसरान सामाराम मेघवाल को विक्रय कर दिया और उसी के अनुसार उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो जमाबंदी संवत् 2051 से 2055 के अवलोकन से स्पष्ट है। फिर भी अपीलीय न्यायालय ने तगाराम के वारिसान द्वारा की गई अपील को स्वीकार किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2003 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2001 को बहाल रखा जावें। निगरानी के साथ ही विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय हो जाने के उपरांत जिला कलक्टर, बाड़मेर की जानकारी में आने पर उन्होंने प्रकरण व निर्णय का विधिक परीक्षण कराए जाने के उपरांत निर्णय दिनांक 07.10.2003 को राजहित के विपरीत पाते हुए अपने पत्रांक व आदेश दिनांक 25.01.2004 को तहसीलदार, बाड़मेर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर मण्डल न्यायालय में अपील दायर करने के निर्देश दिए। उसके पश्चात् प्रभारी अधिकारी ने राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर बिना किसी देरी के यह निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश कर दी गई, अतः निगरानी पेश किए जाने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर निगरानी को अंदर मियाद शुमार किया जावें। हमनें उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। हम सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थी ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर निगरानी अंदर मियाद शुमार की जाती है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान अप्रार्थी शंकरराम व मोहनराम ने आराजी खसरा संख्या 250/1 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा वाकै मौजा बिशाला आगौर में से 3 बीघा भूमि समर्पण करने हेतु तहसीलदार, बाड़मेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मय समर्पण पत्र के पेश किया। जिसे तहसीलदार, बाड़मेर ने अपने आदेश दिनांक 17.11.99 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त आराजी को बिना शर्त समर्पित राज्य सरकार के हक में कब्जा लिए जाने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश के विरूद्ध पेमाराम व अन्य ने प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में पेश किए जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.02.2001 द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए समर्पण विलेख आदेश दिनांक 17.11.99 को यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान किए। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष पेश किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2003 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अधी0न्याया0 द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/915/2004/बाड़मेर** **सरकार बनाम पेमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित आदेशों को निरस्त कर दिया। इस क्रम में मण्डल के समक्ष उक्त निगरानी पेश किए जाने पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम विशाला आगौर में स्थित खसरा संख्या 250/1 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा भूमि शंकरराम एवं मोहनराम की खातेदारी में अंकित है तथा उन्हें अपनी खातेदारी की भूमि में से भूमि को समर्पण किए जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। शंकरराम व मोहनराम ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 250/1 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि राज्य पक्ष में समर्पित किए जाने हेतु एक समर्पण प्रार्थना पत्र तहसीलदार, बाड़मेर के समक्ष पेश किया। जिसे तहसीलदार, बाड़मेर ने राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 55 के तहत मौजा बिशाला आगौर के खसरा संख्या 250/1 रकबा 3 बीघा किस्म बारानी दौयम को बिना शर्त राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किए जाने के आदेश पारित किए है, जो उचित आदेश है। शंकरराम व मोहनराम ने अपनी स्वेच्छा से अपनी खातेदारी की भूमि में से 3 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने पर तहसीलदार द्वारा उक्त समर्पण विलेख स्वीकृत किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होने पर न्यायालय अपर जिला कलक्टर ने भी उक्त आदेश को यथावत् रखा है, जो उचित आदेश है। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना ही उक्त आदेश को निरस्त किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उक्त भूमि शंकरराम व मोहनराम द्वारा तगाराम के पिता से विधिवत् रूप से क्रय की गई है तथा उसी अनुसार उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो जमाबंदी संवत् 2051 व 2055 के अवलोकन से स्पष्ट है, इस प्रकार उन्हें अपने खातेदारी की भूमि का समर्पण किए जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था।किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07—10—2003 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभयपक्ष को दी जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	